न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा/रायपुर

मि०नं० 16/2017.

1. राजेश पुत्र राम प्रसाद मीणा नि० दुहानिया
2. फूलादेवी पत्नी राम प्रसाद मीणा नि० दुहानिया
हाल निवास तह० जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

1. बालचन्द पुत्र नारायण मीणा नि० दुहानिया त० [illegible]

अंतर्गत प्रा०पत्र धारा - 183बी R.T. Act.

निर्णय दिनांक 27/6/17.

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र वाद प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम दुहानिया के खाता सं० 201 की ख०नं० 165 रकबा 0.01 हे०, ख०नं० 166 की रकबा 2.42 हे० कुल किता 2 की रकबा 2.43 हे० भूमि का 1/2 हिस्सा स्थित है। जिस पर अप्रार्थी गण ने कब्जा कर हथाने में मना कर दिया है। अप्रार्थी लड़ाकू झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है। अतः हमारी भूमि हमें इन्हें हटाया जाकर सम्भलाई जावे।

पत्रावली प्रशासन आपके द्वार ग्राम पंचायत मुख्यालय हिरीयारखेड़ी कुकाम पर दिनांक 31/5/17 को पेश हुई। पक्षकारान उप०। अप्रार्थी बालचन्द पुत्र नारायण मीणा नि० दुहानिया ने उक्त भूमि शामलाती खाते की होना बताया तथा सम्पूर्ण भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त करना स्वीकार किया, हटाकर करने से मना किया गया। प्रार्थीगण उप०। सम्पूर्ण भूमि शामलाती व पैतृक भूमि होना बताया तथा उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थी का जबरन कब्जा होना स्वीकार किया गया। शामलाती खाते की भूमि का बंटवारा होना अस्वीकार किया है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड/नकल एवं प्रार्थी व अप्रार्थी को सुनने पर हम इस निष्कर्ष

PTO

(2)

पर पहुंचे कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की खातेदारी व पैतृक भूमि है। जिसमें दोनों पक्ष का 1/2 अंशधारी आधा - आधा हिस्सा बनता है परन्तु उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए उक्त वाद R.T. Act की धारा - 183 बी के अन्तर्गत मेंटेनेबिल नहीं है। अत: वाद प्रा० पक्ष खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया

तहसीलदार

राजगढ़

Scanned by CamScanner